बिहार सरकार
उद्योग विभाग (खा0प्र0)

डी0एफ0पी0/एफ0–1/48/15

पत्रांक :– पटना, दिनांक :–

प्रेषक,

निदेशक
खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना।

विषय :– M/s.Srei Infrastructure Finance Ltd. को वित्तीय वर्ष 2017–18 अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु सम्भाव्यता प्रतिवेदन/सर्वेक्षण/अध्ययन/मोबिलाईजेशन सफलता एवं अनुश्रवण शुल्क के भुगतान हेतु रु0 42.46 लाख (बेयालिस लाख छियालिस हजार) मात्र भुगतान की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि M/s Srei Infrastructure Finance Ltd. को वित्तीय वर्ष 2017–18 अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु सम्भाव्यता प्रतिवेदन/सर्वेक्षण/अध्ययन/मोबिलाईजेशन सफलता एवं अनुश्रवण शुल्क किये गये कार्य के विरुद्ध रु0 42.46 लाख (बेयालिस लाख छियालिस हजार) मात्र भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत राशि में से रु0 38.61 लाख (अड़तीस लाख एकसठ हजार) मात्र M/s Srei Infrastructure Finance Ltd. को एवं रु0 3.85 लाख (तीन लाख पचासी हजार) मात्र मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को पूर्व में निदेशालय के पत्रांक 515 दिनांक 05.08.2014 के आलोक में भुगतान की गयी राशि के समायोजन हेतु भुगतान किया जायेगा।

2– यदि विपत्रों की गणना/दावों के भुगतान के संदर्भ में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटियाँ पायी जाती है तो उक्त राशि की वसूली एक मुश्त कर ली जायेगी।

3– उक्त राशि की निकासी विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 ज्ञापांक 613 दिनांक 19.09.2017 तथा आवंटनादेश सं0 51/आवंटन दिनांक 20.09.2017 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2852– उद्योग,उप मुख्य शीर्ष –80– सामान्य, लघु शीर्ष –102– औद्योगिक उतपाकता, माँग सं0– 23, उप शीर्ष –0142– प्रोजेक्ट एवं फिजीविलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य, विपत्र कोड– 23-2852801020142 के विषय शीर्ष 0142.28.03 कन्सल्टेन्सी मद में आवंटित राशि से की जायेगी। राशि की निकासी फार्म बी0टी0सी0 –25 पर की जायेगी।

4– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, खाद्य प्रसंसकरण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

5– स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से की जायेगी।

6– M/s Srei Infrastructure Finance Ltd.(पी0एम0ए0) को रु0 38.61 लाख (अड़तीस लाख एकसठ हजार) मात्र एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को रु0 3.85 लाख (तीन लाख पचासी हजार) मात्र राशि का भुगतान RTGS/डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा।

7– प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
निदेशक (खा0प्र0)
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :– पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक (खा0प्र0)
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :– पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय,बिहार पटना /लेखा शाखा, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय,बिहार पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक (खा0प्र0)
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :– पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड शाखा, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ । उनसे अनुरोध है कि Demand Draft में संबंधित बैंक खाता संख्या को अंकित कर दिया जाये।

ह0/–
निदेशक (खा0प्र0)
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :– 47 पटना, दिनांक :– 25/01/18

प्रतिलिपि :– उद्योग निदेशक, बिहार पटना /माननीय उद्योग मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग,पटना/ M/s Srei Infrastructure Finance Ltd., प्रथम तल्ल, अुंनराग बिल्डिंग, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक के बगल में, पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड, बोरिंग रोड चौराहा के नजदीक, पटना–800001 एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (खा0प्र0)
उद्योग विभाग, बिहार पटना।